रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1981/कार्तिक 16, 1903
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1981/KARTIKA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1981

सा० का० नि० 990.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पैर कि उस पद्धति के अनुसार जो साधारणतः प्रचलित थी, उच्च घनत्व पोलिथिलीन एकतंतु सूत्र के विनिर्माण के दौरान निकलने वाले उच्च घनत्व पोलिथिलीन (एच डी पी ई) अपशिष्ट पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क 23 मार्च, 1981 से पूर्व उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था, यह निर्देश देती है कि ऐसे माल पर संदेय संपूर्ण उत्पाद शुल्क उस उक्त माल की बाबत संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उक्त पद्धति के अनुसार उस तारीख से पूर्व उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया गया था।

[सं० 174/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/फा० सं० 50/11/81-सी एक्स-2]
डी० मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th November, 1981

G.S.R. 990.—In exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that according to a practice that was generally prevalent, the duty of excise leviable on High Density Polyethelene (HDPE) Waste arising during the manufacture of high density polyethelene monofilament yarn was not being levied before the 23rd March, 1981, hereby directs that the whole of the duty of excise payable on such goods shall not be required to be paid in respect of the said goods on which the duty of excise was not levied before that date in accordance with the said practice.

[No. 174/81-Central Excises/F. No. 50/11/81-CX.2]
D. MEHTA, Under Secy.

सा० का० नि० 991.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (21वां संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-ञ के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) उप-नियम (3) के खंड (क) में, उपखंड (ii) से पूर्व निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(i) ऐसे माल को उस मूल विनिर्माता को जिससे आवेदक ने बंधपत्र के अधीन उसे प्राप्त किया था ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कलक्टर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1981

सा॰का॰नि॰ 1002.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह ख) भर्ती नियम 1962* का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह ख) भर्ती (संशोधन) नियम 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह ख) भर्ती नियम 1962 की अनुसूची में लेखापरीक्षक के पद से संबंधित और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:—

*सा॰का॰नि॰ 347 ता॰ 17-3-1962 के अधीन अधिसूचित/तत्पश्चात् इन नियमों के 37 संशोधन अधिसूचित किये गये। इस पाद टिप्पण में सभी संशोधनों के राजपत्र निर्देशों को सम्मिलित करना दुःसाध्य होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	7क	8
"6.	लेखा परीक्षक	3 (1981) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह ख)	840-40-1000-द॰रो॰-40-1200 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किये जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (650-1200 रुपये) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी की श्रेणियों में संयुक्त रूप से पांच वर्ष नियमित सेवा की है और इन दोनों के न हो सकने पर प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (1) उप-महानिदेशक (प्रशासन)—अध्यक्ष (2) अपर मुख्य इंजीनियर —सदस्य (3) उप महानिदेशक (निरीक्षण)—सदस्य (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो समुचित हैसियत का हो—सदस्य	इस पद पर चयन करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है।"

9	10	11	12	13	14
			प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या समतुल्य श्रेणी में पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने 840-1200 रुपये के वेतनमान में तीन वर्ष सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है और जिन्हें रोकड़ लेखा और बजट कार्य का अनुभव है; या (2) केन्द्रीय सरकार के अधीन कनिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखाकार के सदृश या 550-900/500-900 रुपये के वेतनमान पदों को धारण करने वाले अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; या (3) संगठित लेखा विभागों के ऐसे लेखाकार संपरीक्षा अधिकारी या एस०ए०एस० लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

[संख्या ए०-12019/1/80-बी० (ए०)]
आर० डी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th October, 1981

G.S.R. 1002.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group B) Recruitment Rules, 1962, *namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group B) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group B) Recruitment Rules, 1962, for serial number 6 relating to the post of Inspector of Accounts and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

*Notified under G.S.R. 347, dated 17-3-1962. Subsequently 37 amendments to these rules were notified and as such it is unwieldy to include the gazette references of all the amendments in the footnote.

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruit	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C. C. S. (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required or direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	7(a)	8
"6.	Inspector of Accounts.	3* (1981) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'B')	Rs. 840-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any.	Method of recruitment—whether by direct recruit or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Tow years.	By promotion failing which by transfer on deputation	Promotion : Senior Administrative Officer (Rs. 650-1200) with 3 years' regular service in the grade failing which Senior Administrative Officer with 5 years' combined regular service in the grade of Senior Administrative Officer and Administrative Officer (Rs. 650-960) and failing both Administrative Officer with 5 years regular service in the grade. Transfer on deputation : (i) Section Officers of the Central Secretariat Service or officers holding posts in the equivalent grade (with 3 years' service in the scale of Rs. 840-1200 who have undergone training in the cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess experience in cash, accounts and budget work; or (ii) Officers under the Central Government holding analogous posts of Junior Accounts Officer/Accountant for equivalent in the scale fof Rs. 550-900/500-900 with 5 years' service in the grade; or (iii) Accountants/Audit Officers or S. A. S. Accountants with 5 years' service in the grade from any of the organised Accounts Departments. (Period of deputation shall not exceed 3 years).	Gruop 'B' Departmental Promotion Committee : (i) Deputy Director General (Administration)—Chairman. (ii) Additional Chief Engineer—Member. (iii) Deputy Director General (Inspection)—Member. (iv) An officer of appropriate status belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member.	Union Public Service Commission is not required to be consulted while making selection to this post".

[No. A-12019/1/80-B(A)]
R. D. JOSHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981